ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के अनुपालन में सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रचलित 24 फार्म के अतिरिक्त 16 अन्य फार्म संबंधी

पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–87/2014–3 दिनांकःदिसम्बर 11 ,2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– सीसीटीएनएस पोर्टल पर " विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL)एवं फिंगर प्रिंट ब्यूरो (FPB) भेजे गए प्रदर्श का विवरण अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं) " उपलब्ध कराये जाने विषयक।

———

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर **(CAS) 4.5** में **" विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) एवं फिंगर प्रिंट ब्यूरो (FPB) भेजे गए प्रदर्श का विवरण अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं) "** उपलब्ध करायी जा रही है।

2. उक्त फीडिंग नहीं होने से **FCR** एवं **CCTNS** की सूचनाओं में भिन्नता आ रही है। **मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में** दिनांक 15.11.2018 एवं 29.11.2018 को पारित आदेश **के अनुपालन में सीसीटीएनएस के कियान्वयन एवं विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल पर** उपरोक्त **SOP (Standard operating procedures** के अनुसार इनमें सूचना फीड किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त **SOP (Standard operating procedures** के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए सूचना अंकित किये जाने हेतु थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए जिम्मेदार होंगे।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा समीक्षा बैठक में अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त के दृष्टिगत जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त

कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी इस कार्यवाही व प्रक्रिया में सूचना अंकित कराये जाने हेतु नियमित पर्यवेक्षण करते रहेंगे।

4. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाटा फीड करने में यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तकनीकी सेवायें मुख्यालय में नियुक्त श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें से दूरभाष संख्याः 7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

11/12/18

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ फिंगर प्रिंट ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
5. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
6. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्रकरण दैनिकी में विवेचक द्वारा विधि विज्ञानं प्रयोगशाला अथवा फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजे गए प्रदर्श का विवरण भरा जा सकता है |

<u>अनुसन्धान→प्रकरण दैनिकी→प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें→मुख्य कार्य प्रदर्शन (ब्रेन मैपिंग, नार्को विश्लेषण, मौका अंगुल छाप, संपत्ति FSL भेजी गयी)</u>

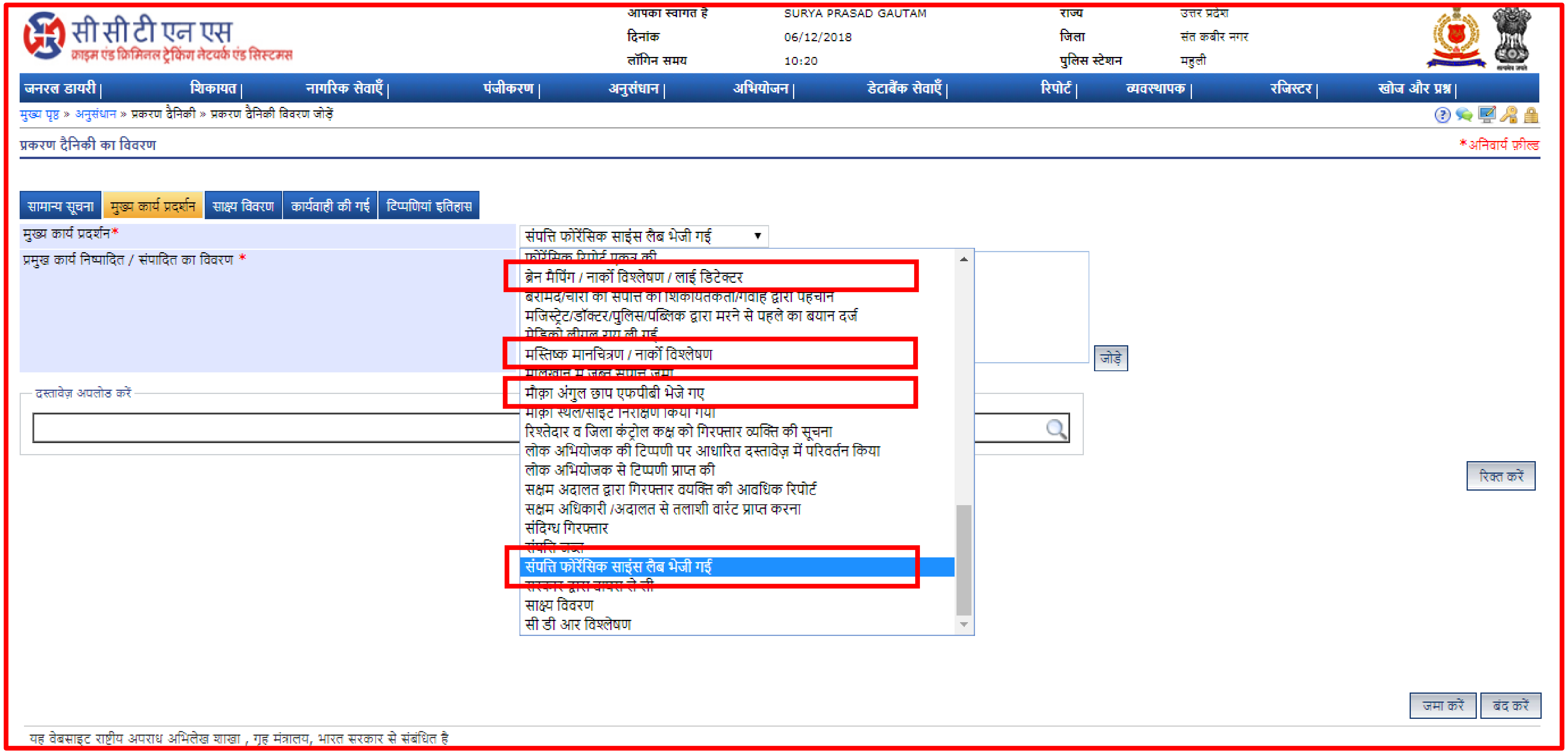

<u>अनुसन्धान→प्रकरण दैनिकी→प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें→मुख्य कार्य प्रदर्शन (गिरफ्तार व्यक्ति का अंगुल छाप, DNA टेस्ट)</u>

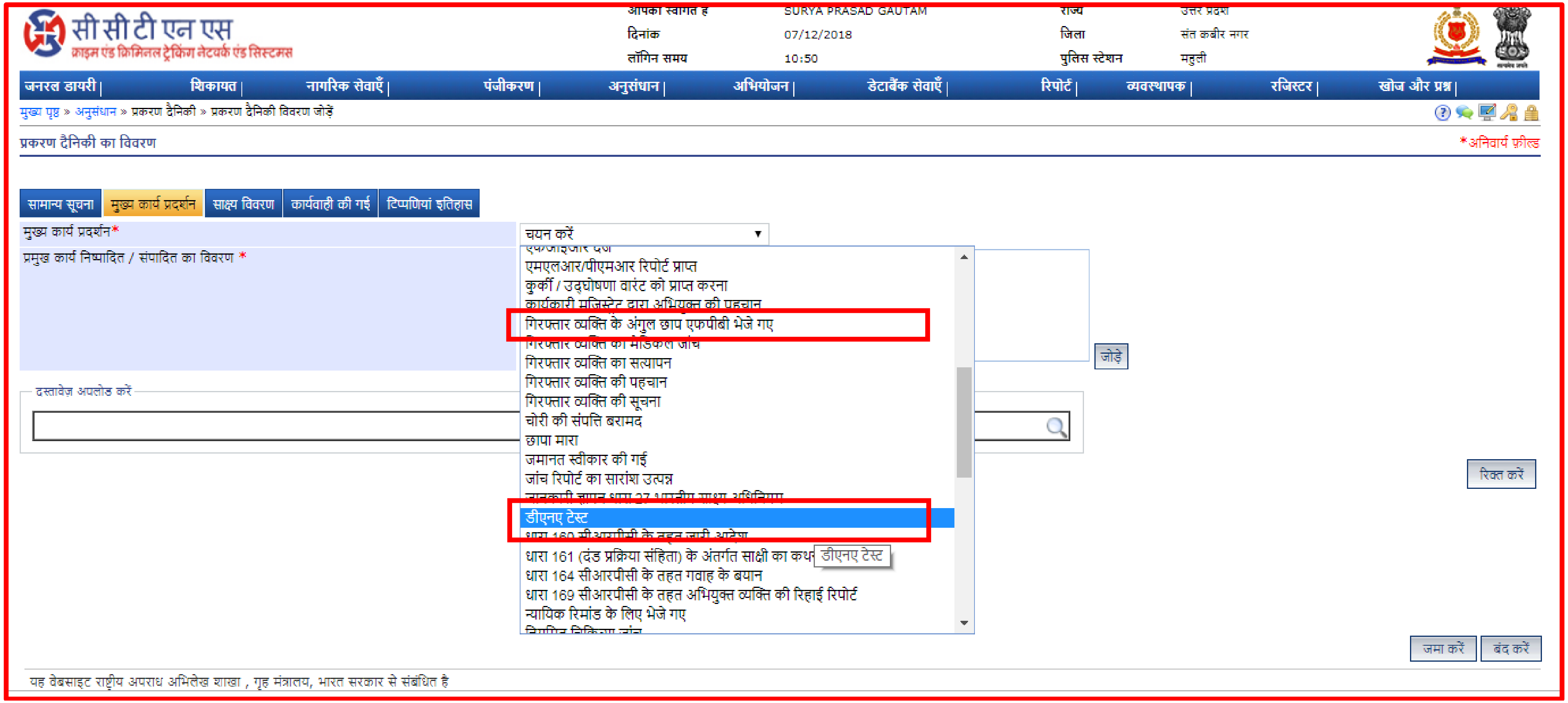

अनुसन्धान→प्रकरण दैनिकी→प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें→कार्यवाही की गई

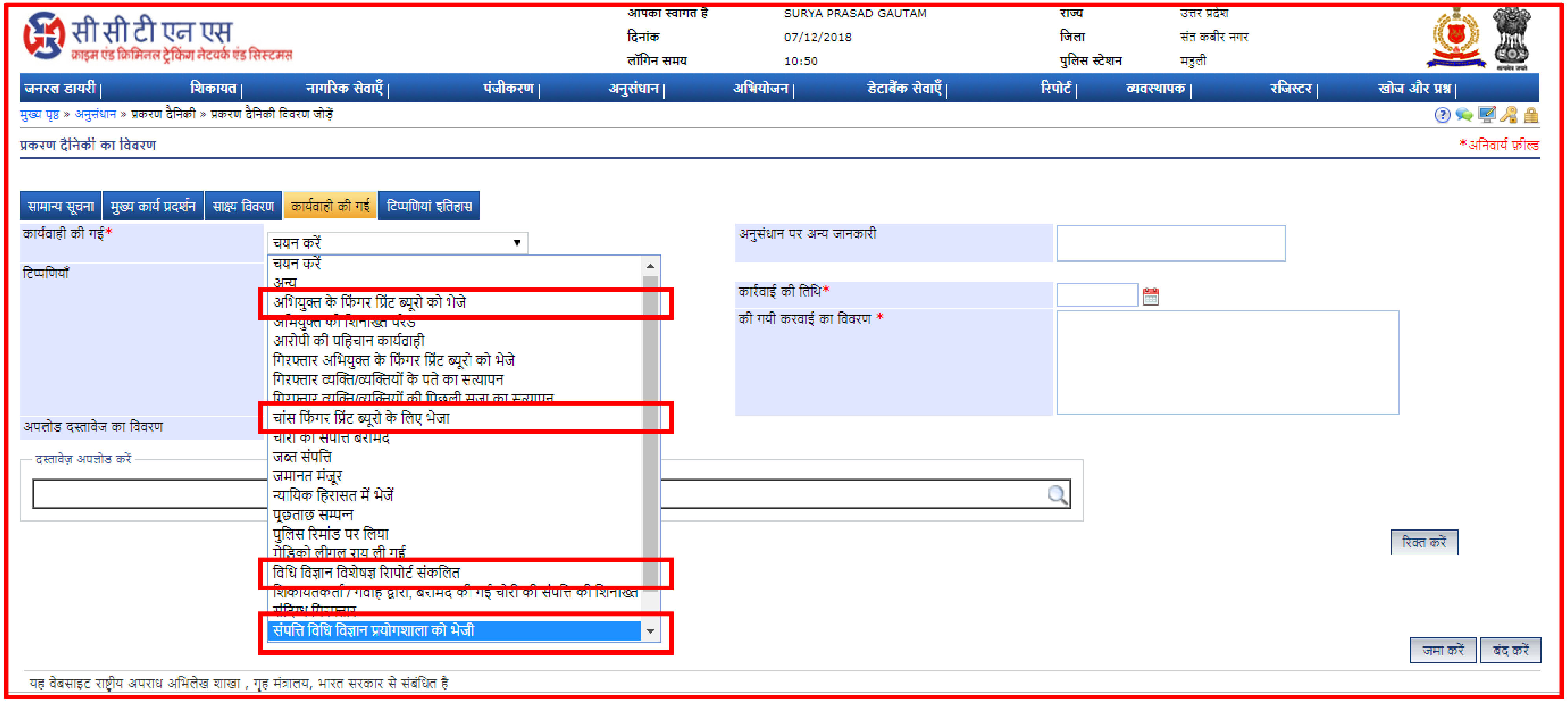

--धन्यवाद--